

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
सिवान

पटना, दिनांक-.....

विषय:- जिला पदाधिकारी, सिवान को उनके पत्रांक-९०७५/सा०शा०, दिनांक १६.११.२०१६ के आलोक में दिनांक १५.०४.२०१६ को रामनवमी जुलूस निकालने के क्रम में दो समुदायों के बीच उत्पन्न विवाद के कारण दो व्यक्तियों के क्षतिग्रस्त दुकान/सामग्री के लिए अनुग्रह अनुदान स्वरूप उनके द्वारा याचित राशि कुल ₹३,१०,०००.०० (तीन लाख दस हजार रु) मात्र की स्वीकृति एवं आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्रांक-९०७५/सा०शा०, दिनांक १६.११.२०१६ के आलोक में निम्नवत् राशि की स्वीकृति देते हुए आवंटित किया जाता है:-

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, सिवान को पूर्व में आवंटित राशि।	वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, सिवान को वर्तमान में स्वीकृत एवं आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में जिला पदाधिकारी, सिवान को इस मद में कुल आवंटित राशि।
शून्य	₹३,१०,०००.०० (तीन लाख दस हजार रु) मात्र	₹३,१०,०००.०० (तीन लाख दस हजार रु) मात्र

आदेश:- स्वीकृत।

- उपर्युक्त राशि ₹३,१०,०००.०० (तीन लाख दस हजार रु) मात्र बजट शीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-६०-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-२००-अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या-२२, उपशीर्ष -०००४ दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विपत्र कोड सं०-एन २२३५६०२०००००४, विषय शीर्ष-३१ ०२ अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।
- जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-९०७५/सा०शा०, दिनांक १६.११.२०१६ के आलोक में दिनांक १५.०४.२०१६ को रामनवमी जुलूस निकालने के क्रम में दो समुदायों के बीच उत्पन्न विवाद के कारण दो व्यक्तियों के क्षतिग्रस्त दुकान/सामग्री के लिए अनुदान स्वरूप याचित राशि कुल ₹३,१०,०००.०० (तीन लाख दस हजार रु) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है। इस राशि का किसी अन्य योजना के खर्च पर विचलन नहीं किया जाएगा। जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा विभागीय संकल्प सं०-८९६०, दिनांक ३०.०९.२०१३ के आलोक में अपने स्तर से अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति एवं उसके भुगतान की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
- उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सिवान होंगे एवं राशि की निकासी जिला कोषागार, सिवान से की जायेगी। वे राशि की निकासी के समय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-४९८९/बी (२), दिनांक-१६.०५.२०१३ में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसके अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी, सिवान की होगी।
6. जिला पदाधिकारी, सिवान यह सुनिश्चित कर लेंगे की उनके द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान विषयांकित साम्प्रदायिक घटना में प्रभावितों की पहचान कर की गई है।
7. राशि का भुगतान केवल एकाउन्ट पेई चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा। यदि प्रभावित व्यक्तियों का बैंक खाता नहीं है, तो जिला पदाधिकारी, सिवान भुगतान के पूर्व उनका बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।
8. जिला पदाधिकारी, सिवान का यह दायित्व होगा कि वे भुगतान की गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
9. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं हो सके, तो उसका प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-सी०/सी०आई०मिस०-4023/2016...../पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ज्ञापांक:-सी०/सी०आई०मिस०-4023/2016...../पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-सी०/सी०आई०मिस०-4023/2016...../पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि:- उप सचिव, प्रशाखा-ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-सी०/सी०आई०मिस०-4023/2016-11974...../पटना,दिनांक.....28/12/16...

प्रतिलिपि:- आई०टी०प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव
28.12.16